रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] नई दिल्ली, सोमवार, मई 28, 1990/ज्येष्ठ 7, 1912
No. 200] NEW DELHI, MONDAY, MAY 28, 1990/JYAISTHA 7, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1990

सा. का. नि. 512 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :

यतः राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि अंतर-राज्य परिषद् के गठन से लोकहित की रक्षा होगी;

अतः, अब, संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस आदेश को अन्तर-राज्य परिषद आदेश, 1990 कहा जायेगा। (2) यह आदेश तत्काल लागू होगा।

2. परिषद् की संरचना—एक अंतर-राज्य परिषद् (जिसे इसमें इसके बाद परिषद् कहा जाएगा) गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे ;

(क) प्रधान मंत्री;

(ख) सभी राज्यों के मुख्य मंत्री;

(ग) विधान सभा वाले संघ-राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्री तथा विधान सभा बगैर संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक;

(घ) प्रधान मंत्री द्वारा नामजद किए जाने वाले केन्द्रीय मंत्री परिषद् के केबिनेट स्तर के छह मंत्रीगण।

(नोट : केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रियों तथा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को उस स्थिति में आमंत्रित किया जा सकता है जब उनके द्वारा देखे जा रहे विषय से संबंधित किसी मद पर विचार किया जाना हो)।

3. परिषद् के अध्यक्ष—प्रधान मंत्री इस परिषद् के अध्यक्ष होंगे तथा वह परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे :

बशर्ते कि अगर किसी बैठक की अध्यक्षता करने में प्रधान-मंत्री असमर्थ हों तो वह बैठक की अध्यक्षता करने के लिए केबिनेट स्तर के किसी अन्य केन्द्रीय मंत्री को नामजद कर सकते हैं।

4. परिषद् कर्त्तव्य—परिषद् सिफारिश करने वाली निकाय होगी तथा, इस क्षमता में, यह निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे विषयों का अन्वेषण तथा उन पर विचार करना जिनमें कुछ या सभी राज्यों या संघ और एक या एक से अधिक राज्यों का समान हित निहित हो; तथा जिसे इस परिषद् के सामने लाया जाये;

(ख) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना तथा विशेष-कर उस विषय के संदर्भ में नीति तथा कार्रवाई के बेहतर समन्वय हेतु सिफारिश करना; तथा

(ग) राज्यों के हितों से संबंधित ऐसे मामलों पर विचार करना जिन्हें अध्यक्ष महोदय द्वारा परिषद् के सामने रखा जाय।

5. परिषद् की कार्य-विधि—परिषद् अपने कार्य के संचालन में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी, अर्थात् :—

(क) परिषद् अपने समक्ष लाए जाने वाले मुद्दों का पता लगाने तथा उनका चयन करने हेतु दिशा-निर्देश अपनाएगी।

(ख) परिषद् प्रत्येक वर्ष ऐसे समय और स्थान पर कम-से-कम अपनी तीन बैठकें करेगी जैसाकि इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाएगा;

(ग) परिषद् की बैठकें गुप्त रूप से होंगी;

(घ) परिषद् की बैठक के लिए 10 सदस्यों (अध्यक्ष सहित) का कोरम होगा;

(ङ) बैठक में परिषद् के विचारार्थ आने वाले सभी प्रश्नों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा और सर्व-सम्मति के बारे में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा; और

(च) परिषद् अपने कार्य के संचालन के लिए ऐसी अन्य कार्य-विधि अपनाएगी जिसे यह केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर निर्धारित करे।

6. परिषद् का सचिवालय—परिषद् का अपना सचिवालय होगा जिसमें ऐसे अधिकारी तथा स्टाफ होगा जिन्हें अध्यक्ष नियुक्त करना उचित समझें।

आर. वेंकटरामन, राष्ट्रपति

कैम्प शिमला,

दिनांक : 25 मई, 1990

[एफ सं. IV-11017/3/90-सी.एस.आर.]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 28th May, 1990

G.S.R. 512(E).—The following Order by the President is published for general information.

Whereas it appears to the President that the public interest would be served by the establishment of an Inter-State Council;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Article 263 of the Constitution, the President hereby makes the following order, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This order may be called the Inter-State Council Order, 1990.

(2) It shall come into force at once.

2. Composition of the Council.—There shall be an Inter-State Council (hereinafter referred to as the Council) consisting of the;

(a) Prime Minister;

(b) Chief Ministers of all States ;

(c) Chief Ministers of Union territories having a Legislative Assembly and Administrators of Union territories not having a Legislative Assembly;

(d) Six Ministers of Cabinet rank in the Union Council of Ministers to be nominated by the Prime Minister.

(Note : Other Ministers and Ministers of State having independent charge in the Union Government may be invited as and when any item relating to a subject under their charge is to be discussed).

3. Chairman of the Council.—The Prime Minister shall be the Chairman of the Council and shall preside over the meetings of the Council :

Provided that when the Prime Minister is unable to preside over any meeting, he may nominate by Union Minister of Cabinet rank to preside over the meeting.

4. Duties of the Council.—The Council shall be a recommendatory body and in that capacity, shall perform the following duties, namely:—

(a) investigating and discussing such subjects, in which some or all of the States or the Union and one or more of the States have a common interest, as may be brought up before it ;

(b) making recommendations upon any such subject and in particular recommendations for the better coordination of policy and action with respect to that subject; and

(c) deliberating upon such other matters of general interest to the States as may be referred by the Chairman to the Council.

5. Procedure of the Council.—The Council shall, in the conduct of its business, observe the following procedure, namely :—

(a) the Council shall adopt guidelines for identifying and selecting issues to be brought up before it;

(b) the Council shall meet at least thrice in every year and at such time and place as the Chairman may appoint in this behalf;

(c) the meetings of the Council shall be held in camera;

(d) ten members (including the Chairman) shall form the quorum for a meeting of the Council;

(e) all questions which may come up for consideration of the Council at a meeting shall be decided by consensus and the decision the Chairman as to consensus shall be final; and

(f) the Council shall, in the conduct of its business, observe such other procedure as it may, with the approval of the Central Government, lay down from time to time.

6. Secretariat of the Council.—The Council shall have a Secretariat comprising of such officers and staff as the Chairman may think fit to appoint.

R. VENKATARAMAN,
President

Camp Shimla,

Dated, the 25th May, 1990.

[F. No. IV/11017/3/90-CSR]

NARESH CHANDRA, Home Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1990